न्यूज़ ब्रीफ

पशु संरक्षण कानूनों और संवेदनशीलता पर एक दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला

भिलाईनगर। पशु संरक्षण कानूनों और संवेदनशीलता पर एक दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन एस.एन.जी.स्कूल सेक्टर-4 भिलाई में किया गया। उक्त कार्यशाला में रामगोपाल गर्ग, .पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेज, दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक,जिला दुर्ग, मीत असर, एसोसिएट डायरेक्टर पेटा इंडिया, श्रीमती किरण आहूला, मैनेजर पेटा रायपुर, निखिल एम जार्ज, धनंजय प्रसाद, कुशाल गजपाल, मिलिंद शाहनी, बीदिषा विशवाश , पीपल फॉर एनिमल दुर्ग भिलाई यूनिट-2 के पदाधिकारी उपस्थित हुए। श्रीमती असर, एसोसिएट डायरेक्टर पेटा इंडिया एवं श्रीमती किरण आहूला, मैनेजर पेटा रायपुर द्वारा लावारिश पशुओं के उपर क्रूरता करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में विस्तार से समझाया गया। इस दौरान वेदव्रत सिरमौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जिला दुर्ग, अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दुर्ग जिला दुर्ग,सत्यप्रकाश तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर जिला दुर्ग, राकेश झा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा, कमलनारायण शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा, नीलकंठ वर्मा, रक्षित निरीक्षक, रक्षित आरक्षी केन्द्र, जिला दुर्ग, निरीक्षक राजेश मिश्रा, थाना प्रभारी, सुपेला, जिला दुर्ग एवं जिला-दुर्ग, बेमेतरा एवं बालोद के कुल-100 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त प्रषिक्षण में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

खेलो इंडिया लघु केंद्र मर्रा पाटन के 5 खिलाड़ी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयनित

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र मर्रा पाटन में संचालित है। उक्त केंद्र से जूनियर वर्ग में 4 बालिकाओं कु. गणेश्वरी सपहा, कु. जिज्ञासा यादव, कु. ऐश्वर्या यादव, कु. जानवी नेताम एवं 1 बालक खुमान साहू का चयन राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जिले के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक विलियम लकड़ा से राज्य कबड्डी संघ द्वारा 22 से 24 नवम्बर 2024 को जिला कवर्धा में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

निधन

जे. नागा राव

बीएमवाय चरोदा (भिलाई)/रायपुर। पदुम नगर, बीएमवाय चरोदा (भिलाई) 89 वर्षीय निवासी जे नागा राव का निधन 20 नवंबर, 2024 को देर रात हुआ। इनका अंतिम संस्कार दिनांक 21 नवंबर 2024, दिन गुरुवार को चरोदा मुक्तिधाम में किया गया। आप रवि, रंगा व नाग वेंकट राव के पिताजी थे ।

योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर आम जनता को करें लाभान्वित : सांसद बघेल

सांसद की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक संपन्न

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। लोकसभा सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्री बघेल ने निर्देशित किया कि जिले में राज्य और केन्द्र शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएं। सांसद विजय बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिला पंचायत के माध्यम से विभिन्न वार्डो में पहुंचाया जाता है।

आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम एक कड़ी का कार्य करते हैं। जन-जन तक पहुंचाने के लिए हमारे दायित्व बंटे हुए हैं। समयबद्ध तरीके से अपने-अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो भी दिशा-निर्देश व निर्णय लिया जाता है उस पर त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। केन्द्र की योजनाओं से जनता वंचित न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के कार्यो को तेजी के साथ संचालित करने को कहा। वहीं ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण में अद्यतन प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत पात्रातानुसार हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास, जल जीवन मिशन, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत बजरंग दुबे ने अवगत कराया कि मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। अब तक 100 दिवस का रोजगार श्रमिकों को प्रदान किया गया है। सांसद श्री बघेल ने कहा कि मनरेगा कार्यो की सामग्री का भुगतान पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के पहले किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर हितग्राहियों की सूची तैयार करने को कहा। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अधिकारियों ने बताया कि सभी गांवों में पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। 2024-25 में 180 लक्ष्य के विरूद्ध 109 खनित नलकूप किया गया है। सांसद ने लोगों को शुद्ध पेयजल जैसी समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रमुखता से क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही उन्होंने नल कनेक्शन देने के लिए किये जाने वाले गढ्ढे को प्राथमिकता के साथ गुणवत्ता पूर्ण समतलीकरण करने को कहा।

आयुष्मान बनाने घर-घर निरंतर पहुंच रही हैं कर्मचारी

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का नया आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है।नगर निगम के कर्मचारी इसके लिए घर-घर दस्तक दें रहे है।

वरिष्ठ नागिरकों का आयुष्मान बनाने घर-घर पहुंचकर तीन दिनों में 386 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। यह कार्य नगर पालिक निगम क्षेत्र में 22 नवंबर तक चलेगा।कमिश्नर सुमित अग्रवाल के निर्देश में दीनदयाल अंतोदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम व आंगनबाड़ी मितानिन को प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया है कि उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर डोर-टू-डोर जाना होगा। प्रत्येक कर्मचारी मोबाइल एप से ओटीपी लेकर जानकारी भरेंगे। इसके बाद वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत किसी भी अस्पताल में पांच लाख तक निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड प्रभारी ने बताया कि निगम क्षेत्र के 17 वार्डो में 18 से 22 नवंबर तक निगम के 50 से अधिक कर्मचारी फील्ड में रहकर काम कर रहे है। निगम क्षेत्र के पूरे 60 वार्डो में अलग अलग चरणों मे घर घर दस्तक देगी आयुष्मान कार्ड सर्वे के लिए। यह कार्य 30 नवंबर तक पूर्ण करेंगे। वहीं कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने पार्षदों और परिवार के मुखिया से अपील की है कि वे 70 से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। इसमें उनके लिए पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध रहेगा। कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने कहा कि घर घर निगम टीम द्वारा पहुँचकर आयुष्मान कार्ड बना रही है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ की पहचान मेडिकल टूरिज्म के रूप में हों : मंत्री जायसवाल

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय नगपुरा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पूर्व मंत्री जायसवाल ने श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन एवं पूजा-अर्चना किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी साथ मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले यह संस्थान प्रदेश का पहला संस्थान है, जिसने पुरातन चिकित्सा पद्धति को पुर्नजिवित किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कोई नई विधा नहीं है। आज हमें अपनी पुरातन चिकित्सा पद्धति की ओर ही लौटना होगा। भारत ज्ञान-विज्ञान की खान है। विश्व गुरू के रूप में भारत ने हर क्षेत्र में विश्व को ज्ञान दिया है। योग एवं

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का भारत पुरातन काल से वाहक रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाला समय योग और प्राकृतिक शिक्षा का ही होगा। इस चिकित्सा पद्धति का भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा योगा एवं प्राकृतिक शिक्षा के 35 शिक्षकों के पद भरे गए है। आने वाले दिनों में इन पदों पर और भर्ती की जाएगी। क्रेंद्र सरकार द्वारा आन्ध्रा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन तीन राज्यों में 100 बिस्तर प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल स्वीकृत किए गए है।

आरोपियों से करीबन एक लाख रुपए का मादक पदार्थ चिट्ठा बरामद

समवेत शिखर संवाददाता

भिलाईनगर। जिले में नशे के अवैध सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने हेतु, पुलिस अधीक्षकजितेन्द्र शुक्ला के द्वारा नशे के सौदागरों की पतासाजी कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देश प्राप्त हुये थे।जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर, उप पुलिस अधीक्षक (क्राईम) हेम प्रकाश नायक, नगर पुलिस अधीक्षक (मिलाई नगर),सत्यप्रकाश तिवारी, के मार्गदर्शन में एवं एसीसीयू प्रभारी निरीक्षक तापेश नेताम व थाना प्रभारी वैशाली नगर उप निरीक्षक घनश्याम नेताम के नेतृत्व में एसीसीयू एवं थाना की एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्यवाही हेतु लगाया गया था।गठित टीम द्वारा पूर्व में अवैध मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोईन) बिक्री करने वालो पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि बब्बू अली नाम का व्यक्ति कुछ दिन पहले चिट्टा खरीदने के लिए पंजाब गया था। जो पंजाब से वापस आ गया है। और हरपाल सिंह के साथ चिट्टा बिक्री करने के लिए ग्राहक खोज रहा है।मुखबिर सूचना को तस्दीक कर तकनीकी सहायता लेते हुये बब्बू अली का पता तलाश किया गया।जो वृन्दा नगर, दक्षु बाड़ी मैदान, करंज झाड़ के नीचे खड़े मिले जैसे ही पुलिस पास गई तो दोनों वहाँ से भागने लगे जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।पूछताछ पर अपना नाम बब्बू अली एवं हरपाल सिंह बताया दोनों व्यक्ति की तलाशी लेने पर बब्बू अली के पास से 08 ग्राम एवं हरपाल के पास से 06 ग्राम पृथक-पृथक जुमला 14 ग्राम मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोईन) जुमला कीमती करीबन 01 लाख रूपये का जप्त किया गया है। इससे पूर्व बब्बू अली 302 भादवि हत्या एवं चाकूबाजी के मामले में थाना जामुल से 15 वर्ष की सजा काट चूका है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)

क्रमांक/1776/राजस्व/न.पा.पं./2024-25
दल्लीराजहरा, दिनांक 21/11/2024

// ईश्तहार //

नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत नामांतरण (नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन का माता द्वारा वसीयतनामा एवं माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर) हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 24 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड बस स्टैंड रोड के पास दल्लीराजहरा काबिज राजस्व भूमि पर स्थित मलबा/स्ट्रक्चर 2100 वर्गफीट पक्का आवास व्यवसाय निर्मित है। वसीयतनामा देने वाली श्रीमती दुलारी सोरी पति श्री बनमाली सिंह सोरी का नाम काट कर उनकी पुत्री श्रीमती ममता मण्डावी पति श्री मेहरूराम मण्डावी के नाम पर संपत्ति कर/समेकित कर सर्वे पंजी/मांग पंजी में नाम दर्ज किया जाना है।

उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।

मुहर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार//

रा.प्र.क्र. 202411110500015 ब/121 वर्ष 2023-24
ग्राम अभनपुर पहनं. 21 तहसील अभनपुर

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अब्दुल सत्तार कुरैशी पिता अब्दुल रज्जाक कुरैशी निवासी-ग्राम अभनपुर तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. द्वारा अपनी पुत्र कु. राबिया कुरैशी पिता अब्दुल सत्तार कुरैशी का केन्द्र सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में नियुक्त हेतु/ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने हेतु आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे नियत पेशी दिनांक 28.11.2024 तक न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से लिखित में पेश कर सकते है। नियत पेशी दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
अभनपुर, जिला रायपुर

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी खैरागढ़ जिला-खैरागढ़, छुईखदान, गंडई (छ.ग.)

// ईश्तहार//

रा.मा.क्र..बी-121 वर्ष 2024-2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जितेन्द्र आ.स्व. पंचराम निवासी शहर/ग्राम गुरुभाठा पहनं.,,, तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छ.ग. पुत्र/पुत्री/ माता/पिता/ अन्य दादी स्व. तिजिया आ. ढेलु मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग की गई है। उपरोक्त आवेदन पत्र इस न्यायालय में मृत्यु दिनांक 20.02.2021 को स्थान कुरुभाठा पर होना बताया जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को दावा/आपत्ति हो तो वे सुनवाई तिथि 5.12.24 लिखित में स्वयं/ अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार दिनांक 14.11.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
खैरागढ़ (छ.ग.)

न्यायालय अपर आयुक्त, रायपुर, संभाग जिला रायपुर (छ.ग.)

// सूचना-नोटिस //

रा./अ./प्र./क्र. 254 अ/6 वर्ष 2024-25

प्रति,

1. कलीबाई बेवा दीनदयाल, 2. ऋषि पिता स्व.दीनदयाल 3. इन्दू पिता स्व.दीनदयाल 4. गुरदय पिता स्व.दीनदयाल 5. बिन्दु पिता स्व.दीनदयाल 6 बालविजय पिता स्व.दीनदयाल 7. लक्ष्मी पिता स्व.दीनदयाल 8 दुर्गेश पिता स्व.दीनदयाल 9. नन्दीनी पिता स्व. दीनदयाल
सभी निवासी-ग्राम ओंकारबंद
तहसील बागबाहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

आपके ज्ञात पते पर प्रेषित नोटिस तामिल नहीं होने से दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी **श्री बुढ़ान सिंग पिता स्व. गणेश वगै. निवासी-ग्राम ओंकारबंद, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद** द्वारा इस **न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा के रा.अ.प्र.क्र. 09 अ/6 वर्ष 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 30/07/2021** के विरूद्ध अपील पेश किया है जिसमें आप सभी को उत्तरवादी बनाया गया है। प्रकरण में आगामी **पेशी दिनांक 26/11/2024** हेतु नियत है।

अतएव आप निर्धारित तिथि 26/11/2024 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की दशा में प्रकरण में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जावेगी।

आज **दिनांक 05/11/2024** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया।

मुहर
आयुक्त
रायपुर संभाग, रायपुर

कार्यालय नगर पंचायत तुमगांव, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

क्रमांक/1059/न.पं./लेखा/2024 तुमगांव, दिनांक 19/11/2024

मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पंचायत तुमगांव में पी.डब्ल्यू.डी. रोड एवं बिल्डिंग एस.ओ.आर. 2015 शौचालय रेनोवेशन एवं सी.सी. रोड टॉप कार्य निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। जिस हेतु इच्छुक पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदार से निर्धारित प्रपत्र में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से त्रि-लिफाफा पद्धति में मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

(1) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 26/11/2024 सायं 3.00 बजे तक।
(2) निविदाकारों को निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि - 27/11/2024 सायं 5.00 बजे तक।
(3) निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय - 10/12/2024 सायं 3.00 बजे तक।
(4) निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 10/12/2024 सायं 4:00 बजे तक।

स. क्र.	कार्य का नाम	निविदा राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य शुल्क रुपए	कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि माह में
1	2	3	4	5	6
1	जोगी डेरा के पास वार्ड क्रमांक 02 सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय रेनोवेशन कार्य।	4.60	3500.00	750.00	02 माह
2	वार्ड क्रमांक 09 शिव चौक में सी.सी. रोड टॉप कार्य।	2.46	2400.00	750.00	02 माह

उपरोक्त कार्यों की निविदा शर्तें/विस्तृत निविदा, विज्ञप्ति, दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में अवलोकन की जा सकती है। यह जानकारी www.uad.gov.in में भी देखी जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत तुमगांव

न्यायालय नजूल अधिकारी जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

// उद्घोषणा//

रा.प्र.क्र.-20241129150000/
शीष-अ-6 वर्ष 2024-25

क्रमांक/ 7088/ वा.नजूल/ 2024 खैरागढ़, दिनांक 20.11.2024

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका/क्रेता श्रीमती टिकेश्वरी कुंभकार पति श्री सूर्यकांत कुंभकार जाति कुम्हार निवासी वार्ड क्रमांक-19 नया टिकरापारा, खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा नगर खैरागढ़ मोहल्ला ईतवारी बाजार ब्लाक नं. 08 स्थित भूखंड क्रमांक 64/1 का टुकड़ा कुल रकबा 3416 व.फू. में से 1080 वर्गफूट को आवेदिका द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से अनावेदकगण/ विक्रेता गौतरहीन बेवा नत्थू एवं अन्य 05 निवासी कुम्हारपारा खैरागढ़ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से क्रय उपरांत उक्त वाद भूमि संबंधी रिकार्ड पर अपना नाम दर्ज किए जाने नामांतरण आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्तानुसार वाद भूमि संबंधी रिकार्ड पर, आवेदिका के नाम पर नामांतरण किये जाने में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो अपना आपत्ति/आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन तिथि के 15 दिनों के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुहर
नजूल अधिकारी
खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार 03 रायपुर

मामले की श्रेणीः राजस्व

संदर्भः- जिला-**रायपुर** तहसील-**रायपुर** प.ह.नं.-**0061** **मठपुरैना** ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक-RD 202425440722500070

//ईश्तहार//

तहसील रायपुर के प.ह.नं. 00061 के अंतर्गत ग्राम **मठपुरैना** के वर्तमान भूमिस्वामी **कुमारी बाई पिता/पति- कुशलाल सतनामी सा पंडरी रायपुर पता-P- 1856166** के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक **199/29(0.0090)** में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता **धनीराम सारंग पिता/पति- स्व. हिरा सिंह पता-नकटी रायपुर** के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजीयन विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई **दिनांक 13/12/2024** को समय सुबह 11 बजे स्थान **न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार 03 रायपुर** पर की जावेगी।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाश उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत पास दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज **दिनांक 20/11/2024** को जारी किया जाता है।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
रायपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार 03 रायपुर

मामले की श्रेणीः राजस्व

संदर्भः- जिला-**रायपुर** तहसील-**रायपुर** प.ह.नं.-**0061** **मठपुरैना** ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक-RD 202425440722500071

//ईश्तहार//

तहसील रायपुर के प.ह.नं. 00061 के अंतर्गत ग्राम **मठपुरैना** के वर्तमान भूमिस्वामी **कुमारी बाई सारंग पिता/पति- धनीराम सारंग पता-1137 दुर्गा नगर पंडरी तराई रायपुर** के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक **325/543(0.0074)** में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता **धनीराम सारंग पिता/पति- स्व. हिरा सिंह पता-नकटी रायपुर** के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजीयन विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई **दिनांक 13/12/2024** को समय सुबह 11 बजे स्थान **न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार 03 रायपुर** पर की जावेगी।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाश उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत पास दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज **दिनांक 20/11/2024** को जारी किया जाता है।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
रायपुर

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल) विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना
एआरसीआईएल ऑफिस : द रूबी, 10वां फ्लोर, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028,
ब्रांच ऑफिसः रूम नं. 1001, 10वां फ्लोर, सिग्नेट टॉवर, डीएन 2, सेक्टर-5, साल्ट लेक, कोलकाता-700091, पश्चिम बंगाल
टेलीफोन : 03348226608, Website : https://auction.arcil.co.in, CIN-U65999MH2002PLC134884

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित, ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो विभिन्न आर्सिल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट समझौतों के माध्यम से वित्तीय संपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार) एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित हैं, को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', 'जो कुछ भी है' तथा 'बिना किसी सहारे के' ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि के साथ बकाया राशि की वसूली की जा सके, जैसा कि प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार नीचे विस्तृत रूप से प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के नियम 6, 8 और 9 के साथ पढ़ा जाए।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधक का नाम	लैन नं. और बेचने वाला बैंक	ट्रस्ट नाम	27 नवंबर 2019 के सरफेसी नोटिस के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार और तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपति का प्रकार और क्षेत्रफल	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
उधारकर्ता : देवराज किशोर दास/ राजश्री देवी	20008510002386 (Bandhan Bank)	एआरसीआईएल 2024 सी 004 ट्रस्ट	45,22,312.31 रुपए (पैंतालीस लाख बाइस हजार तीन सौ बारह रुपए और इकतीस पैसे मात्र) 27 नवंबर 2019 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी खर्च	भौतिक 3 अगस्त 2023 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्री होल्ड भूमि एवं निर्माण भूमि (750 वर्ग फीट)	2,61,400/ रुपए (दो लाख एकसठ हजार चार सौ रुपए मात्र)	26,14,000/ रुपए (छब्बीस लाख चौदह हजार रुपए मात्र)	23 दिसंबर 2024 को दोपहर 12.00 बजे

नीलाम की जाने वाली सुरक्षित संपत्ति का विवरण : देवराज किशोर दास के स्वामित्व वाली संपत्ति : अचल संपत्ति भूमि और निर्माण भूमि परिमाप 750 वर्ग फीट
अचल संपत्ति के वह सभी हिस्से और खंड जो खाता अनुक्रमांक 1839 हिस्सा-4, खसरा नं. 360/4, मौजा- तेलीबांधा, प. ह. नं. 113/44, आरएनएम रायपुर गायत्री नगर, वार्ड नं. 28, महर्षि वाल्मिकी वार्ड, तहसील और जिला- रायपुर (छत्तीसगढ़) और **निम्नानुसार घिरे हुए हैं : उत्तर :** प्याली चटर्जी का मकान, **दक्षिण :** पंजवानी की जमीन, **पूर्व :** स्टील सिटी, **पश्चिम :** सड़क।

एआरसीआईएल को ज्ञात लंबित मुकदमे	शून्य	एआरसीआईएल को ज्ञात ऋणभार/बकाया	शून्य
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पहले	बोली वृद्धिशील राशिः	जैसा कि बोली दस्तावेज़ में उल्लेखित है
डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना होगाः	एआरसीआईएल 2024सी-004-ट्रस्ट		सममूल्य पर देय
आरटीजीएस विवरण	खाता नाम : एआरसीआईएल 2024सी-004-ट्रस्टः खाता नं. 57500001409112 : IFSC Code : HDFC0000542 : Maintained with- HDFC		
संपर्क व्यक्ति का नाम और नंबर	शैलेष गायकवाड़-9867929121 (shailesh gaikwad@arcil.co.in), शत्रुघन- 9570774774 (satrughan@arcil.co.in)		

नियम और शर्तें
1. नीलामी बिक्री की सलाह वेबसाइट https://arcil.co.in के माध्यम से और बोली दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जा रही है।
2. अधिकृत अधिकारी (एओ) **एआरसीआईएल** को कनेक्टिविटी नेटवर्क नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली की विफलता आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. नीलामी के किसी भी चरण में एओ बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है।
4. सफल क्रेता/बोलीदाता को कोई भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, क्रय मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा, जो लागू कानून के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति को उसके पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए भुगतान किया जाना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, सुरक्षित परिसंपत्ति का स्वामित्व और सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं, के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच/उचित परिश्रम कर लेना चाहिए। नीलामी विज्ञापन **एआरसीआईएल** की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। **एआरसीआईएल** का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, तथापि नीचे हस्ताक्षरकर्ता किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
7. बउधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को उपर्युक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
8. यदि किसी भी कारण से ऊपर निर्धारित नीलामी विफल हो जाती है, तो **एआरसीआईएल** को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार है।

स्थान : कोलकाता, दिनांक : 22-11-2024
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड